रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1605] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2008/कार्तिक 23, 1930

No. 1605] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2008/KARTIKA 23, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

का.आ. 2663(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है;

उक्त राजमार्ग जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने हैं, उक्त अधिनियम की अनुसूची में तत्स्थानी क्र. सं. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और उक्त सारणी में उपदर्शित किए गए उनके विवरण सहित, विनिर्दिष्ट हुए समझे जाएंगे:

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
(1)	(2)	(3)
117क	रा. रा.-226 का विस्तार	तमिलनाडु राज्य में पेरंबलूर से आरंभ होकर पेरेली, कीलापलुर, अरियालुर, कुन्नम, थिरुवायारु, कंडियुर और तंजापुर पर राष्ट्रीय राजमर्ग 226 को जोड़ने वाला ।
121	230	तमिलनाडु राज्य में मदुरै से आरंभ होते हुए राजमार्ग, तिरुपुवानम, पुवांधी, शिवगंगा, कलायरकोली, तिरुवंदानी को जोड़ते हुए और टोडी पत्तन टाऊन पर समाप्त होने वाला ।
3खक	रा. रा. 2-ख विस्तार	पश्चिमी बंगाल राज्य में बोलपुर से आरंभ होने वाला राजमार्ग, परांतिक, मयूरेश्वर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर मोलारपुर पर समाप्त होने वाला ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2008-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पण :–राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और उसकी अनुसूची भारत के राजपत्र में 11 सितम्बर, 1956 को प्रकाशित की गई थी और उक्त अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1163(अ), तारीख 16 मई, 2008 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2008

S.O. 2663(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the national highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
117A	Extension of NH-226	The highway starting from Perambalur connecting Perali, Keelapalur, Ariyalur, Kunnam, Thiruvaiyaru, Kandiyur and joining NH-226 at Thanjavur in the State of Tamil Nadu.
121	230	The highway starting from Madurai connecting Tiruppuvanam, Poovandhi, Sivaganga, Kalaiyarkoil, Tiruvadanai and terminating at Tondi Port town in the State of Tamil Nadu.
3 BA	Extension of NH-2B	The highway starting from Bolpur connecting Prantik, Mayureswar and terminating at Mollarpur at the junction of NH-60 in the State of West Bengal.

[F. No. NH-14012/10/2008-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note :—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India on 11th September, 1956 and the said Schedule was last amended *vide* notification number S.O. 1163(E), dated the 16th May, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.